कल्याण सलाहकार बोर्डों की सिफारिशों पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को समाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के लिए अनुदान दिए जाते हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को मंजूर किये गये अनुदानों तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई धन-राशियों के बारे में राज्यवार सूचना परिशिष्ट में दी गई है।

(ख) 1977-78 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 120.00 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने परिशिष्ट में दिए अनुसार राज्यों में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के लिए अस्थायी रूप से अनुदान निर्धारित किये है। [परिशिष्ट ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 883/77] वास्तविक मंजूरी अलबत्ता विभिन्न संगठनों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करता है।

(ग) स्वयंसेवी संगठनों का (राज्यों को नहीं) धन का आवंटन किसी विशिष्ट वर्ष की आवश्यकताओं तथा पिछले वर्ष के दौरान धन के उपयोग के आधार पर किया जाता है। योजना में समाज के कमजोर वर्गों की स्त्रियों को काम और वेतन देकर उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे स्त्रियां अपनी जीविका कमा सकें या अपने परिवारों की अल्प आय को बढ़ा सकें।

दिल्ली, नयी दिल्ली में किराये की इमारतों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

5635. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित बहुत से केन्द्रीय सरकारी कार्यालय किराये की इमारतों में हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन पर सरकार को प्रति वर्ष कितना व्यय करना पड़ता है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यालयों को दिल्ली के आस पास कहीं स्थानांतरित करने और वहां भूमि खरीदकर अपनी ही इमारतें बनाने की कोई योजना तैयार की है ?

निर्माण, और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों के वितरण के लिये राशनकार्ड प्रणाली

5636. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को उर्वरकों के उचित और समान वितरण के लिए सभी राज्यों में राशन कार्ड प्रणाली आरम्भ करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी नहीं। सरकार इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।